

## देवघर समाहरणालय (जिला भू अर्जन शाखा)

### -: अधिसूचना :-

अधिसूचना संख्या 176 / भू अ०

दिनांक : 01/09/2020

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-मोचाबाड़ी, थाना-सारठ, थाना सं०-567, अंचल-सारठ, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा शहरजोरी मोड़ (एम०डी०आर०-222 पर)-आसनबनी-अलगबरा-दुमदुमी-दनरबाद-करौं तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-मोचाबाड़ी, थाना-सारठ, थाना सं०-567, अंचल-सारठ, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.25 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :-

क. सं.	खात सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4	109	रैयती	बाड़ी-2	0.07	कालु मराण्डी वो माणिक मराण्डी पे० कुन्दन मराण्डी। कौम संधाल (ज०रै०) सा० देह।	मौज संख्य 566	अर्जित दाग का अंश	अर्जित दाग का अंश।	रास्ता
2	6	111	रैयती	बाड़ी-2	0.03	किशना मुर्मू वो बैजल मुर्मू पे० लड़वा मुर्मू। जाति संधाल। सा० देह।				
3	15	112	रैयती	बाड़ी-2	0.03	बदन मराण्डी (ज०रै०)				
4	15	113	रैयती	बाड़ी-2	0.03	ईश्वर मराण्डी पे० दुखी मराण्डी। सा० देह।				
5	15	114	रैयती	बाड़ी-2	0.01	ओकिल मराण्डी पे० मंगल मराण्डी वो प्रधान मराण्डी वो प्रधान मराण्डी पे० गिरीश मराण्डी वो राजेश मराण्डी पे० रंजन मराण्डी वो वगन मराण्डी पे० हकी मराण्डी। सा० देह।				
6	28	110	रैयती	बाड़ी-2	0.08	मोनो मुर्मू वो नुनेश मुर्मू पे० भोदो मुर्मू वो सीनोदी मुर्मू पे० बैजो मुर्मू वो साहेलाल मुर्मू वो दीपलेश मुर्मू पे० रूबी मुर्मू वो मदन मुर्मू वो बाबुसोर मुर्मू पे० किशुन मुर्मू। कौम संधाल। सा० देह।				
कुल रकवा-					0.25					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी  
देवघर  
18.1.20

अपर समाहर्ता  
देवघर

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।

ज्ञापांक ... / भू अ०, देवघर, दिनांक 01/02/2020

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, सारठ को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी  
देवघर  
18.1.20

अपर समाहर्ता  
देवघर

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।